पर्यटन मंत्रालय

मांग संख्या 93

पर्यटन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		186.00	41.24	227.24	186.00	41.24	227.24	300.25	38.70	338.95
पूंजी		*314.00*	*0.50*	*314.50*	*314.00*	*0.50*	*314.50*	*485.75*	*3.50*	*489.25*
जोड़		**500.00**	**41.74**	**541.74**	**500.00**	**41.74**	**541.74**	**786.00**	**42.20**	**828.20**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	1.05	1.05	...	1.05	1.05	...	1.42	1.42
पर्यटन										
2. महानिदेशक, पर्यटन-निदेशन तथा प्रशासन	3452	17.00	30.77	47.77	17.00	30.77	47.77	20.00	33.05	53.05
3. पर्यटक सूचना और प्रचार										
3.01 देशीय अभियान	3452	14.00	0.20	14.20	14.00	0.20	14.20	70.00	0.30	70.30
3.02 समुद्रपारीय अभियान	3452	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	140.00	...	140.00
	जोड़	*104.00*	*0.20*	*104.20*	*104.00*	*0.20*	*104.20*	*210.00*	*0.30*	*210.30*
4. पर्यटक आधारभूत ढांचा	5452	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00	415.75	...	415.75
5. प्रशिक्षण	3452	28.00	0.50	28.50	28.00	0.50	28.50	45.00	0.25	45.25
6. अन्य व्यय	3452	22.00	8.22	30.22	22.00	8.22	30.22	16.25	3.18	19.43
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	9.00	...	9.00
	4552	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	70.00	...	70.00
	जोड़	*50.00*	*...*	*50.00*	*50.00*	*...*	*50.00*	*79.00*	*...*	*79.00*
8. आईटीडीसी को ऋण	7452	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	3.50	3.50
9. विविध सामान्य सेवाएं-विनिमय द्वारा हानि	2075	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
जोड़-पर्यटन		**500.00**	**40.69**	**540.69**	**500.00**	**40.69**	**540.69**	**786.00**	**40.78**	**826.78**
कुल जोड़		***500.00***	***41.74***	***541.74***	***500.00***	***41.74***	***541.74***	***786.00***	***42.20***	***828.20***
ख. लोक उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. भारत पर्यटक विकास निगम	13452	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ग. आयोजना परिव्यय*:-										
1. सामान्य आर्थिक सेवाएं-पर्यटन	13452	450.00	...	450.00	450.00	...	450.00	707.00	...	707.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	79.00	...	79.00
जोड़		**500.00**	**...**	**500.00**	**500.00**	**...**	**500.00**	**786.00**	**...**	**786.00**

सचिवालय आर्थिक सेवाएं

1. इसमें पर्यटन विभाग के सचिवालय पर व्यय की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है।

निदेशन एवं प्रशासन

2. यह व्यवस्था पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय की स्थापना और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों पर व्यय की पूर्ति के लिए है। उनकी मुख्य गतिविधियां पर्यटन संबंधी सूचना का प्रसार करना, पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यात्रा उद्योग से संबद्ध विभिन्न खंडों जैसे होटलों, ट्रेवल एजेंटों, गाइडों आदि का विनियमन करना है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी प्रावधान है।

पर्यटन सूचना एवं प्रचार

3. यह व्यवस्था विभाग के प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रमों के लिए प्रचार सामग्रियों को तैयार करने पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए है। भारत की तस्वीर मुख्य रूप से इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया अभियानों के जरिए प्रदर्शित की जाती है। जिन कार्यकलापों हेतु व्यवस्था की गई है उनमें मेले और त्योहारों, भारत इवनिंग/सेमिनार, विशेष रुचि वाले पर्यटनों, चार्टर विमानों आदि में भागीदारी और पुस्तिकाओं, फिल्मों, छायाचित्रों आदि को तैयार करने की व्यवस्था भी शामिल है।

पर्यटक अवसंरचना

4. इस व्यवस्था का संबंध पर्यटन रूचि के स्थलों का नए सिरे से पता लगाकर वहां ढांचागत सुविधाओं जैसे पर्यटक बंगलों, यात्री निवासों, वन लॉजों, मार्ग सुविधाओं, समुद्र किनारे सैरगाहों के निर्माण, पर्यटन परिवहन साधनों, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, शरदकालीन खेलों/जलक्रीड़ाओं के उपस्करों की अधिप्राप्ति, गोल्फ कोर्सों/स्मारकों की पुनः साफ-सफाई पर होने वाले व्यय से है।

प्रशिक्षण

5. यह व्यवस्था यात्रा एवं होटल उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की जनशक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, होटल प्रबंध संस्थान, खान-पान प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक पोषण और खाद्य कौशल संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है।

अन्य व्यय

6. इस प्रावधान में 3-सितारा श्रेणी तक के होटलों के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थानों द्वारा अग्रिम तौर पर लिए गए ऋणों पर विनिर्दिष्ट ब्याज सब्सिडी का भुगतान करना शामिल है। इसमें बाजार अनुसंधान, जम्मू व कश्मीर में पर्यटन की नए सिरे से बहाली और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को योगदान तथा भारत सरकार के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित विनिवेशित होटलों के संबंध में पश्च समापन समायोजन के कारण होने वाले भुगतानों के लिए की गई व्यवस्था भी शामिल है।

7. इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु व्यवस्था है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम को ऋण

8. इसमें विनिवेशित होटलों के कारण भारतीय पर्यटन विकास निगम मुख्यालय के कॉरपोरेट कार्यालय में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर खर्च के लिए व्यवस्था शामिल है।

विविध सामान्य सेवाएं

9. इसमें विदेश स्थित भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों के लिए पर्यटन विभाग में विदेशी मुद्रा के कारण होने वाली हानि के भुगतान के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।

सं.93/पर्यटन विभाग